21-7-22	[illegible] अप्रार्थी स्वयं व [illegible] अप्रार्थीगण [illegible] काफी समय से अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित आज भी अप्रार्थीगण बावजूद सूचना [illegible] है। अतः साक्ष्य-प्रतिवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27-7-22 को पेश हो।
27-7-22	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 133 सी.आर.पी.सी. साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

89 / न्याय / 2013
दायरा दिनांक 18.03.2013

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. शकुन्तला बाई पुत्री नन्दलाल सिंह जाति माली निवासी गांधीपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—परिवादी

बनाम

1. श्री डॉ0 उमेश प्रताप सिंह प्लांट हेड डारेक्टर ए0सी0सी0 कम्पनी लाखेरी जिला बून्दी राज0।
2. राजीव गुप्ता एच.आर.ए0सी0सी कम्पनी लाखेरी जिला बून्दी राज0।

— अप्रार्थीगण।

अर्न्तगत धारा 133 जा0फौ0।

उपस्थित :— 1.श्री एडवोकेट(वादी)।

—: निर्णय :— दिनांक :— 27.07.2022

प्रार्थिया ने परिवाद अन्तर्गत धारा 133 जा0फो0 में पेश कर कथन किया कि खाता सं0 648, ख0नं0 1130, रकबा 0.04 हैक्ट0, ख0नं0 1131 रकबा 0.05 हैक्ट0, ख0नं0 1132 रकबा 0.04 हैक्ट0, ख0नं0 1141 रकबा 0.18 हैक्ट0, ख0नं0 1144 रकबा 0.11 हैक्ट0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.75 हैक्ट0 वाकें ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ में स्थित है जिसकी परिवादियां खातेदार कृषक होकर कब्जा काश्त चली आ रही है।परिवादियां की कृषि भूमि के उत्तरी—पूर्वी तरफ ए0सी0सी0 कम्पनी का सीमेन्ट प्लांट लगा हुआ है।ए0सी0सी कम्पनी द्वारा पूर्वी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

तरफ नाला बनाये जाने के कारण पानी का सीपेज होता है जिससे प्रार्थिया की कृषि भूमि में पानी भर जाता है जिसके कारण प्रार्थिया की कृषि भूमि की फसल नष्ट हो रही है। ए0सी0सी कम्पनी द्वारा बनाये नाले में पानी के रिसाव से प्रार्थिया के परिवार पर स्वास्थ्य दुष्प्रभाव पड रहा है।परिवादियां ने पानी के रिसाव बाबत् अप्रार्थी को कई मर्तबा अवगत कराने पर भी सीपेज को बन्द नही कराया गया।और परिवादियां द्वारा अन्त में निवेदन किया कि वह पानी के रिसाव को बन्द करवाये जाने एवं सीपेज पानी के रिसाव को बन्द करनें की व्यवस्था करवाये जाने हेतू गेरसायल को पाबन्द किया जावे।

परिवादियां का परिवाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थीगण द्वारा अपने खण्डनात्मक जवाब प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि ए0सी0सी0 कम्पनी का प्लांट लगभग 96 वर्ष से पूर्व का बना हुआ है एवं मौके पर बना नाला ए0सी0सी कम्पनी का नही होकर सरकारी नाला है उक्त नाले में ए0सी0सी0 कम्पनी का पानी नही आता है नाले के समीप अन्य काश्तकारों की कृषि भूमियां भी स्थित है उक्त काश्तकारों द्वारा कभी भी कोई शिकायत, आपत्ति नही की गयी नाले के समीप ही आबादी बसी हुई है आबादी में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा भी कभी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई परिवादियां झुठा परिवाद प्रस्तुत कर कम्पनी से मुआवजे के रूप में पैसा हडपना चाहती है।और अन्त में निवेदन किया कि ए0सी0सी0 कम्पनी का मौके पर कोई नाला नही है मौके पर उपलब्ध नाला सरकारी है जिसके रख–रखाव एवं मरम्मत आदि के कार्य की जिम्मेदारी नगरपालिका लाखेरी की है परिवादियां द्वारा अनर्गल व झुठी रिर्पोट पेश की गई है जो अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी में चलने योग्य नही होने से परिवादियां का परिवाद खारिज फरमाया जावे।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी परिवादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस परिवाद में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुये ए0सी0सी0 कम्पनी को सीपेज का पानी रोकने बाबत् पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया परिवादी के अधिवक्ता के बहस का विरोध करते हुये अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि मौके पर उपलब्ध नाले में महेश तालाब का पानी का रिसाव होता है नाला ए0सी0सी0 कम्पनी का नही होकर सरकारी नाला है जिसके रख–रखाव की जिम्मेदारी नगरपालिका लाखेरी की होती है। परिवादी द्वारा ए0सी0सी0 कम्पनी के विरूद्व झुठा परिवाद पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

ए0सी0सी0 कम्पनी से मुआवजे के रूप में पैसा हडपना चाहती है और निवेदन किया गया कि परिवादियां का परिवाद खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नायब तहसीलदार लाखेरी की जांच रिर्पोट दिनांक 17.10.2017 के मुताबिक गठित संयुक्त जांचदल की मौका रिर्पोट के अनुसार परिवादी की खातेदारी के समीप प्राकृतिक नाला मौके पर उपलब्ध है जिसको ए0सी0सी0 कम्पनी द्वारा पक्का करवाया गया था।उक्त नाले के समीप उपर बने महेश तालाब के पानी का रिसाव होकर नाले में हमेशा बहता रहता है।तथा प्राकृतिक नाले में ही रिसाव होता है ए0सी0सी0 कम्पनी से प्राकृतिक नाले में कोई पानी का रिसाव नही होना पाया जाता है ऐसी स्थिति में परिवादियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी में प्रस्तुत करना साबित नही होता है परिवादी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही है जिसमे सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्यवाही जा सके।

अतः परिवादियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 133 जा0फौ0 के तहत साक्ष्य एवं लोक स्थान को साबित करने में असफल रहने से परिवादियां का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)